ऑन लाईन नं. RCMS 2023/122

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 28 / 2023

1. जम्मूराम पुत्र श्री हजारी लाल जाति राजपूत निवासी 7 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. कर्ण कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार जाति राजपूत निवासी 7 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरमेल सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 7 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. छल्लोबाई पत्नी बंशीराम जाति राजपूत निवासी 7 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. पार्वती पत्नी सहीराम जाति राजपूत निवासी 7 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. मंगतराम पुत्र बंशीराम जाति राजपूत निवासी 7 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. राजोबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति राजपूत निवासी 7 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री रमेश कुमार जाति राजपूत निवासी 7 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. लाजवन्ती पत्नी रामकिशन जाति राजपूत निवासी 7 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. हेतराम पुत्र इन्दर राम जाति राजपूत निवासी 7 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता रेस्प ोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर दिनांक 06.02.2002 जिसकी रूह से सहमति के आधार पर विभाजन किया–मन्सूखी बाबत।

:: आदेश :: **दिनांक :– 08.08.2024**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम एवं विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की फोटो प्रति सलंग्न अपील है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

2. यह वाके चक 7 बी.बी. तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 10–10 फुट रास्ता श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पदमपुर द्वारा राजस्व अभियान में समस्त खातेदारों की सहमति के आधार पर दिनांक 09.06.1989 को रास्ता स्वीकृत किया गया था। आदेश दिनांक 09.06.1989 के आधार पर राजस्व अभिलेख में जरिये इन्तकाल संख्या 121 दिनांक 12.02.1992 में प्रत्येक किलाजात मे से 10–10 फुट रास्ता दर्ज किया गया और मौके पर 10–10 फुट जोड़ा रास्ता चालू किया गया जो वर्तमान में मौके पर चालू है।
3. यह कि अपीलाधीन आदेश यद्यपि सहमति के आधार पर पारित किया है किन्तु अपीलार्थी की सहमति छल कपट के आधार पर ली गई है। अपीलाधीन आदेश से ना केवली मन्जूरशुदा 10 फुट रास्ता से 8 फुट किया गया, बल्कि अपीलार्थी की कुल खातेदारी कृषि भूमि 4.18 बीघा में से 4.13 बीघा दर्ज की गई जो कि अवैध है और निरस्ती योग्य है।
4. यह कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व आदेश है चूंकि सहमति के आधार पर मन्जूर शुदा रास्ता को विभाजन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, सहमति के विभाजन में केवल सह–खातेदारों की कृषि भूमि का अपने–अपने हिस्सा अनुसार ही विभाजित की जा सकती है।
5. यह कि मौके पर स्वीकृत शुदा रास्ता आज भी प्रत्येक किला नम्बर 1 ता 5 में 10–10 फुट रास्ता प्रचलित है जिसका उपयोग एवं उपभोग समस्त सह–खातेदारो द्वारा किया जा रहा है और आज भी समस्त काश्तकार प्रचलित रास्ता को काम मे ले रहे है किन्तु राजस्व अभिलेख में अपीलाधीन आदेश से 10 फुट रास्ता दर्ज है।
6. यह कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास हेतु कच्ची सड़को को पक्का किया जा रहा है इस हेतु ग्राम पंचायत 4 बी.बी. ने एक इसी विवादित सड़क को इन्टरलोकिंग करने हेतु एक प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 06.02.2023 को पारित किया गया, किन्तु राजस्व अभिलेख में 10 फुट के बजाये 8 फुट होने से दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र तहसीलदार पदमपुर को 02.03.2023 को प्रेषित किया तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.03.2023 से हुई। मूल अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु राजस्व कार्यालय तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी एवं जिला अभिलेखागार में तलाश करता रहा, परन्तु मूल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिली किन्तु आदेश दिनांक 06.02.2002 की पालना में किया गया इन्तकाल संख्या 272 दिनांक 16.08.2002 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.04.2023 को प्राप्त हुई। मूल अपीलाधीन आदेश की अंतिम तौर पर तहसीलदार पदमपुर के समक्ष दिनांक 11.05.2023 को किया तो दिनांक 17.05.2023 को इस आश्य से प्रार्थना पत्र लौटा दिया कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, मिलने पर दे दिया जावेगा। अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। इस हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2002 को निरस्त फरमाया जावें तो जनबा की मेहरबानी होगी।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 7 बी.बी. तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 10–10 फुट रास्ता श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पदमपुर द्वारा राजस्व अभियान में समस्त खातेदारों की सहमति के आधार पर दिनांक 09.06.1989 को रास्ता स्वीकृत किया गया था। आदेश दिनांक 09.06.1989 के आधार पर राजस्व अभिलेख में जरिये इन्तकाल संख्या 121 दिनांक 12.02.1992 में प्रत्येक किलाजात में से 10–10 फुट रास्ता दर्ज किया गया और मौके पर 10–10 फुट जोडा रास्ता चालू किया गया जो वर्तमान में मौके पर चालू है। अपीलाधीन सहमति के आधार पर विभाजन आदेश दिनांक 06.02.2002 को जो तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित किया गया है उसमें अपीलार्थी की सहमति छल कपट के आधार पर ली गई है क्योंकि अपीलार्थी एक अनपूढ किसान है, उसके हस्ताक्षर किस पर लिये जा रहे है उसे ज्ञान नहीं था। अपीलाधीन आदेश से ना केवल मन्जूरशुदा 10 फुट रास्ता से 8 फुट किया गया, बल्कि अपीलार्थी की कुल खातेदारी कृषि भूमि 4.18 बीघा में से 4.13 बीघा दर्ज की गई जो कि गलत की गई है क्योंकि सहमति के विभाजन में किसी की भूमि को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अपीलाधीन आदेश से मुझ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जो कि 4.18 बीघा थी को 4.13 बीघा कर दिया गया एवं उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 09.06.1989 से जो रास्ता 10 फुट स्वीकृत किया गया था को 8 फुट कर दिया गया जबकि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर का उक्त आदेश आज भी स्टेण्ड कर रहा है जिसे किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2002 की पालना में भरा गया इन्तकाल 272 दिनांक 16.03.2022 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में अपील करने की परिसीमा (मियाद) आदेश की दिनांक से 30 दिवस निर्धारित की हुई है लेकिन अपीलार्थी ने अपील 21 वर्ष 3 माह 16 दिन की अवधि व्यतीत होने के बाद दिनांक 22.05.2023 को पेश की है जो अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत है। जमाबन्दी में लगातार रास्ता अंकन होने के बावजूद आदेश का ज्ञान नहीं होना सही नहीं है। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र जो पेश किया है वह दिनांक 07.06.2023 का पेश किया है यानि अपील पेश करने के 15 दिवस बाद का पेश किया है जो अपील के साथ नही पढ़ा जा सकता है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ग्रहण करने योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पर छल्लो बाई पत्नी बंशीराम को पक्षकार संयोजित कर अपील पेश की है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 छल्लोबाई की दिनांक 06.08.2022 को मृत्यु हो चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 पर संयोजित मंगतराम पुत्र बंशीराम को पक्षकार संयोजित कर अपील पेश की है जिसकी भी अपील पेश करने से काफी समय पूर्व मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 एक ही चक के रहने वाले है, उक्त तथ्यों का अपीलार्थी को भलीभांति ज्ञान है उसके बावजूद अपीलार्थी ने मृतक व्यक्तियों के खिलाफ अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है। अपीलार्थी स्वच्छ भाव से अदालत में नही आया है। अपीलार्थी रेस्पोडेन्टस पर अनुचित दवाब बनाकर रास्ता स्वीकृत करवाने

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

का है। अपीलार्थी को मौका पर चल रहे रास्ता की चौड़ाई बढाने हेतु धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र दायर कर चाहिए था लेकिन अपने विधिक उपचार की अवहेलना कर मनमाना रवैया अपनाकर विधिक प्रावधानों एवं विधिक उपचार की अवहेलना कर मनमाना रवैया अपनकार विधिक प्रावधानों के विपरीत अपील पेश की है जो चलने योग्य नहीं है एवं सारहीन एवं विधि की दृष्टि में शुन्य है जिसको इसी स्टेज पर निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा वर्ष 2002 से चले आ रहे राजकीय अभिलेख प्रभावित होगें। अतः अपील ग्रहण करने योग्य नहीं होने के कारण प्रारम्भिक स्टेज पर ही निरस्त फरमाई जावें।

वकील रेस्पोडेंट का तर्क है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। इसके खण्डन में वकील अपीलांट ने कहा है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी राज्य सरकार के ग्रामीण विकास हेतु कच्ची सड़को को पक्का किया जा रहा है इस हेतु ग्राम पंचायत 4 बी.बी.ने इसी विवादित सड़क को इन्टरलोकिंग करने हेतु एक प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 06.02.2023 को पारित किया गया, किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता 10 फुट जो कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश से मंजूर हुआ था के स्थान पर 8 फुट रास्ता है, जो कि आदेश दिनांक 06.02.2002 की पालना में दर्ज इन्तकाल से हुआ है के बारे में मुझ अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलार्थी एक अनपढ किसान था। उक्त रस्ता को दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र तहसीलदार पदमपुर को 02.03.2023 को प्रेषित किया तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.03.2023 से हुई। मूल अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु राजस्व कार्यालय तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी एवं जिला अभिलेखागार में तलाश करता रहा, परन्तु मूल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिली किन्तु आदेश दिनांक 06.02.2002 की पालना में किया गया इन्तकाल संख्या 272 दिनांक 16.08.2002 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.04.2023 को प्राप्त हुई। मूल अपीलाधीन आदेश की अंतिम तौर पर तहसीलदार पदमपुर के समक्ष दिनांक 11.05.2023 को किया तो दिनांक 17.05.2023 को इस आश्य से प्रार्थना पत्र लौटा दिया कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, मिलने पर दे दिया जावेगा। अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2002 का है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 02.03.2023 को उस समय हुई जब राज्य सरकार के ग्रामीण विकास हेतु कच्ची सड़को को पक्का किया जा रहा है इस हेतु ग्राम पंचायत 4 बी.बी.ने इसी विवादित सड़क को इन्टरलोकिंग करने हेतु एक प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 06.02.2023 को पारित किया गया। अपीलांट के ग्रामीण परिवेश में होने के कारण व कागजों पर मुगालते से हस्ताक्षर करवाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।

वकील रेस्पोडेंट का तर्क है कि अपीलार्थी ने अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पर छल्लो बाई पत्नी बंशीराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 मंगतराम पुत्र बंशीराम को पक्षकार संयोजित कर अपील पेश की है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 एक ही वक के रहने वाले है, उक्त तथ्यों का अपीलार्थी को भलीभांति ज्ञान है उसके बावजूद अपीलार्थी ने मृतक व्यक्तियों के खिलाफ अपील पेश की है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

इसके खण्डन में वकील अपीलांट ने कहा है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 छल्लो बाई पत्नी बंशीराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 मंगतराम पुत्र बंशीराम की मृत्यु हो चुकी है की जानकारी अपीलार्थी को तामील सूचना होने के उपरान्त मिली है जिनके वारिसान को पार्टी बनाये जाने हेतु आवेदन अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं 4 सीपीसी दिनांक 21.02.2024 को पेश कर दिया गया है। यहां यह कहना कि अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 की मृत्यु हो चुकी है की जानकारी पूर्व में थी सही नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट का प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत मृतक व्यक्ति के खिलाफ अपील पेश की है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपील का निस्तारण पूर्ण गुणदोष एवं अभिलेखो के आधार पर किया जाना उचित है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2002 जो पारित किया गया है वह सहमति के आधार पर विभाजन स्वीकृत किया गया है। सहमति द्वारा विभाजन स्वीकृत करते समय किसी भी पक्षकार की भूमि को कम नहीं किया जा सकता। सहमति विभाजन में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार ही भूमि का बंटवारा किया जा सकता है जबकि तहसीलदार पदमपुर द्वारा अपीलार्थी जुम्माराम पुत्र हजारीराम के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि 4.18 बीघा में से 4.13 बीघा ही दर्ज की गई एवं चक 7 बी.बी. तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 10–10 फुट रास्ता श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पदमपुर द्वारा राजस्व अभियान में समस्त खातेदारों की सहमति के आधार पर दिनांक 09.06.1989 को रास्ता स्वीकृत किया गया, जिसे किसी भी न्यायलय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है की पालना में स्वीकृत रास्ता 10–10 फुट को भी 8–8 फुट कर दिया जो न्यायिक दृष्टि से अनुचित है। अतः अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार पदमपुर के आदेश दिनांक 06.02.2002 की पालना में भरा गया नामान्तरण संख्या 272 दिनांक 16.03.2002 निरस्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त रकबा को विभाजन से पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार अमल दरामद करने हेतु नये सिरे से नामान्तरकरण भरकर पारित करें। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
(प्रशासन) श्री गंगानगर